संख्या-11/2020/219/26-3-2020

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी 2020

विषय:- **रिट याचिका संख्या-25639(एम0एस0)/2017 शिवपूजन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-02.05.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अध्ययनरत अनुसूचत जनजाति के छात्र श्री शिवपूजन की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-26/03/ज0जा0वि0/दशमोत्तर छात्रवृत्ति/2019-20, दिनांक-25.04.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-25639(एम0एस0)/2017 शिवपूजन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-02.05.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र श्री शिवपूजन की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि **रू0-51,250/-(रू0-इक्यावन हजार दो सौ पचास मात्र)** के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-11/2020/219 (1)/26-3-2020 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in